जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 84/2016 अनवानी गुरसेब सिंह ग्रेवाल गांव अमरपुरा जाटान वायां सूरतगढ बनाम तहसीलदार, सूरतगढ

A3

16–10–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री गुरसेब सिंह ग्रेवाल उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री गुरसेब सिंह ग्रेवाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 04.02.2016 के द्वारा शासन उप संचिव राजस्व, उपनिवेशन विभाग जयपुर से निम्न सूचनाएं चाही थीः–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1.मेरा सूचना का अधिकार के अधीन आपको प्रस्तुत रू 10/– के 9 पीओ 26एफ 595189 के साथ प.प.
2. आपके कार्यालय का पत्र प 23/17/उप/2014 दिनांक 06.05.2014
3. मेरा आप को प्रस्तुत पत्र जिस के साथ वर्णित पत्र 611 दिनांक 05.03.2010 व एसडीएम सूरतगढ के पत्र 5195 दिनांक 27.12.2011 की प्रति संलग्न थी।
4. आप के कार्यालय का पत्र प 23(23)(17) उप/2014 व 10.06.2014

महोदय,

आपको प्रसंगक पत्र 2014 दिनांक 06.05.2014 में मांगे गये पत्र की प्रति रजिस्टर्ड पत्र द्वारा प्रस्तुत कर रहा हूं आवश्यक कार्यवाही कर कारवाई से जाणू करवाने का श्रम करे।

अपीलार्थी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इस आधार पर प्रस्तुत की है कि उसके द्वारा अपने आवेदन पत्र दिनांक 4.2.16 के द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में पत्र सं0 1254 दि0 16.03.16 व 1973 दिनांक 29.04.16 के द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ ने अपना प्रतिवेदन सं0 5049 दिनांक 30.05.16 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 04.02.2016 उनके कार्यालय में दिनांक 04.03.16 का प्राप्त हुआ है। पत्र की विशिष्टियों से ज्ञात नही होता है कि अपीलार्थी ने क्या सूचना चाही है। इस संबंध में अपीलार्थी को पत्र सं0 1254 दि0 16.03.16 के द्वारा सूचित कर दिया गया था। अपीलार्थी का एक अन्य प्रा0 पत्र दिनांक 4.3.16 भी उन्हे प्राप्त हुआ था जिसका उत्तर भी पत्र सं0 1973 दि0 29.04.16 के द्वारा भिजवा दिया गया था।

तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ द्वारा अपने पत्र सं0 1254 दिनांक 16.03.16 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचित किया गया हैः–

आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.02.2016 से स्पष्ट नही है कि आप द्वारा क्या सूचना चाही गई। यदि आप द्वारा चाही गई सूचना का कार्यालय से सबंध है तो व्यक्तिशः उपस्थित आकर सूचना प्राप्त कर सकते है।

अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 04.03.16 प्राप्त होने पर तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ ने अपने पत्र सं0 1973 दिनांक 29.04.16 से निम्नानुसार उतर प्रेषित किया गया हैः–

आप द्वारा राजपत्र अधिसूचना एवं विधिक प्रकृति की सूचना चाही है जो कि कार्यालय से संबंधित नही है एवं सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना सृजित करके नही दी जा सकती है।

अतः आपका प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है आप चाहे तो जबाब के बिरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी श्रीमान जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर के समक्ष 30 दिवस में प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते है।

अपीलार्थी के आवेदन पत्रो के अवलोकन से पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना स्पष्ट व निश्चित नही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर दिनांक 16.03.16 व 29.04.16 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। किन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ को निदेशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी उनके कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का निरीक्षण कर उसमें से कोई सूचना प्राप्त करना चाहे तो उसे नियमानुसार उपलब्ध अभिलेख का निरीक्षण करवा दिया जावे और उपलब्ध अभिलेख में से जो सूचना प्राप्त करना चाहे वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर